सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-469/2023/920/22-2-2023-17(316)/2023
लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश्वर (बन्दी संख्या-76/2021) पुत्र श्री रामबली, निवासी ग्राम-छपिया मंझरिया, थाना-मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-222/1984 में भा0द0वि0 की धारा-148,323/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 17.02.1987 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-24-09-2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत करते हुये धारा 304(2) में 05 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया, द्वारा दिनांक 22.08.2022 तक 01 वर्ष 09 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 01 माह 05 दिन की सपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-469/2023/920(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
3- पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in